Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.471
Volume - 6, Issue - 5, May - 2023 Publication Date: 31/05/2023

DOIs:10.2018/SS/202305007 --:-- Research Paper / Article / Review

लैंगिक असमानता और भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी

अमिता चरण
एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी
Email - amitacharan@jdm.du.ac.in

सारसंक्षेप: भारतीय परिवेश में महिलाओं को उचित स्थान मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें इसलिए माता सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख ने मिलकर जो मुहिम चलाई थी आज उसका प्रभाव हम उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार और रोजगार बढ़ती हुई महिलाओं की भागीदारी से सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हमारे देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पंजीकृत महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होती जा रही है। प्राइमरी स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं की संख्या दो दशकों में लगातार बढ़ी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला शिक्षकों की भागीदारी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक तीनों स्तरों पर निरंतर बढ़ती ही जा रही है।किंतु शिक्षा का उद्देश मात्र यहीं समाप्त नहीं होता। वास्तव में इसका उद्देश महिलाओं की सभी क्षेत्रों में सफल भगीदार और नेतृत्व का होना है।

इस लेख में हम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु भारत सरकार की नीतियां और भागीदारी से संबंधित बाधाओं की बात करेंगे। साथ ही यह लेख विशेष रूप से लैंगिक असमानता और भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदार पर प्रकाश डालेगा।

मुख्य शब्द: लैंगिक असमानता, भेदभावपूर्ण नीतियां, राजनैतिक नेतृत्व, महिला विधेयक, जेंडर गैप ।

1. प्रस्तावना :

मध्य भारत, दक्षिण, उत्तर और पूर्व में महिलाओं में जन जागरूकता के लिए आदिवासी महिलाओं ने सशक्त प्रतिरोध की जो आवाज उठाई बाद में उसका प्रभाव रानी अवंतीबाई लोधी झलकारी बाई, उदादेवी पासी, महावीरी देवी, सिनगी दई, कइली दई, फूलों, झानों, रानी गूडियालों, वीर बाला काली बाई जैसी बहुत सी सशक्त महिलाओं के खुले विद्रोह के रूप में दिखाई दिया। इसी दिशा में भारत में संगठित महिला आंदोलन और महिला सशक्तिकरण की नींव डालने वाली सबसे प्रभावशाली महिला थीं सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख और सामाजिक परिवर्तन की इस परंपरा को आगे बढ़ाया महाराष्ट्र में दलित महिलाओं की अगली पीढ़ी ने। आधुनिक इतिहासकारों ने दलित महिलाओं के आंदोलन को नकार कर बंगाल के सवर्ण पितृसत्ता के समर्थक समाज सुधारकों के नवजागरण को अधिक महत्व देना पसंद किया। इसके पीछे तीन प्रमुख कारण थे पहला सर्वप्रथम मद्रास और कलकत्ता के ब्राह्मणों को अंग्रेजों ने शिक्षा संस्थानों में प्रवेश दिया गया, दूसरा उनको अंग्रेजी भाषा में पारंगत होने और पहली पीढ़ी का इतिहास लिखने का मौका मिला तथा तीसरा उनकी कुंठित जातिवादी मानसिकता ने महिलाओं के योगदान और नेतृत्व को स्वीकारना अपनी पराजय समझा। इसके विपरीत भारत की दलित महिलाओं ने ना सिर्फ अपने अधिकारों के लिए जमीनी लड़ाई लड़ी अपितु उन्होंने सवर्ण महिलाओं और वंचित वर्गों को जागरूक करने के लिए तथा समाज को कुरीतियों और कुप्रथाओं से बचाने के लिए लगातार जन आंदोलन भी किए। महाराष्ट्र की दलित महिलाओं कौशल्या बैसन्त्री, बेबीताई काम्बले, सुलोचना डोगरे, सीताबाई गायकवाड़, तानुबाई काबले, राधाबाई बरालै तथा रमाबाई अंबेडकर ने महिलाओं के जमीनी आंदोलन और सशक्तिकरण के इस सफल प्रयास को दलित महिला महासंघ जैसे संगठन के जरिए विश्वस्तर पर ला कर खड़ा कर दिया। दलित मराठी महिलाओं के लिखे मराठी साहित्य को भी सवर्ण साहित्यकारों द्वारा सदैव नकारा गया और इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन तक नहीं किया गया। सवर्ण महिलाओं की सबसे बड़ी मानसिक बाधा यह थी की वे ऊंची जाति से संबंधित झूठे जातिगत दंभ के चलते कभी भी खुलकर दलित महिलाओं का समर्थन नहीं कर पाई तथा पितृसत्ता के भ्रम जाल में फंसी रहीं और आज भी वह इस जाल से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत हैं। पंडिता रमाबाई जैसे कुछ एक अपवादित लोगों को छोड़कर बाकी सपन्न, शिक्षित और आधुनिक सवर्ण महिलाएं आज भी कुरीतियों का बोझ उठा रही हैं और समाज में महिला विरोधी कुप्रथाओं का प्रचार कर रही हैं। यह कहा जा सकता है कि सवर्णों की प्रथम पंक्ति में आने वाली महिलाएं आज भी वहां ही हैं जहां उनकी पहली पीढ़ी 200 साल पहले खड़ी थी। किंतु सवर्णों की आधुनिक पीढ़ी कुछ महिलाएं अब ये समझ रही हैं कि सामाजिक न्याय और परिवर्तन ही हमारे साझा विकास का आगे का रास्ता तय करेगा। विडंबना यह है कि तेरह बार देश की संसद के समक्ष रखा जाने वाला महिलाओं के

प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रथम महिला विधेयक आज तक संसद के पटल पर प्रस्तावित ही नहीं हो पाया और भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत भी नहीं पहुंच सका दूसरी ओर बहुत से छोटे देशों में ये 40% प्रतिशत तक जा चुका है। शोषित वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए राजनैतिक नेतृत्व में उचित स्थान बनाया ही नहीं गया जबकि वो सबसे बड़े वर्ग का प्रयिनिधित्व कर रही हैं और लंबे समय से सामाजिक न्याय की मांग कर रही हैं। अतः यहां ये समझना बेहद आवश्यक है कि संपूर्ण विश्व और भारत में महिलाओं की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी शिक्षा और प्रशिक्षण के बाद भी नगण्य क्यों है?

2. विश्व में राजनैतिक नेतृत्व और लैंगिक समानता :

भारतीय राजनीति में भी अगर महिलाओं का नेतृत्व लगातार प्रभावशाली बना रहता और सार्थक नीतियों को लागू करने में उनका प्रमुख योगदान होता तो आज हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र और विश्व के राजनैतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक संस्थानों में भारतीय महिला नेत्रियों की प्रभावशाली उपस्थिति होती। न्यायपालिका, निर्माण कार्य, सेना, भूमि आवंटन, परियोजनाएं, मीडिया, वित्तीय संस्थाओं, निवेश तथा ऊंचे सरकारी महकमों में आज भी महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। 1963 से अब तक भारत में मात्र दो महिला राष्ट्रपति, एक महिला प्रधानमंत्री तथा 16 महिला मुख्यमंत्री रही हैं जिनमें से मात्र 6 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल सात वर्ष से अधिक रहा और इनके शासनकाल में महिलाओं से संबंधित योजनाओं और नीतियों पर कई मुख्य फैसले लिए गए। हावर्ड यूनिवर्सिटी के एक लेख में यह माना गया है कि राजनीति में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को भी अपराध के विरुद्ध आवाज उठाने की शक्ति देता है विशेष रूप से शोषित वर्गों की महिलाओं को।[1] 1952 से 2020 तक 15 वीं लोकसभा में सर्वाधिक 15 महिलाएं विभिन्न मंत्रालयों की प्रमुख रही हैं और उन्होंने बहुत से महत्वूर्ण निर्णयों में अपना योगदान दिया। यूनाइटेड नेशन का एक अन्य लेख विभिन्न देशों में शक्तिशाली राजनैतिक महिला नेतृत्व और उनकी लैंगिक समानता से संबंधित नीतियों के कारण विभिन्न देशों में हुए विश्वस्तरीय सुधारों का वर्णन करता है तथा लैंगिक असमानता के कारण होने वाली विशेष समस्याओं पर प्रयास भी डालता है। किंतु आंकड़ों से यही प्रतीत होता है कि विभिन्न देशों में राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में मात्र 22.8 प्रतिशत है तथा मात्र 13 देशों में ही 50% या अधिक महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। [2]

भारत सहित सभी देशों में लैंगिक असमानता का सीधा सम्बन्ध मानव जाति की विकास में बाधा बनने वाली सबसे बड़ी समस्या से है। और यह विकराल समस्या है विभिन्न क्षेत्रों में सबकी आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व न होना। भारत में बाबा साहेब आंबेडकर ने इस गैर-बराबरी को मिटाने के लिए संविधान के आर्टिकल 14,15, 15(3), 39, 42 तथा 46 के अंतर्गत महिलाओं के बहुत से अधिकार सुनिश्चित कर दिए थे किंतु बाद में महिलाओं के सशक्त प्रतिनिधित्व के अभाव में इनके अनुपालन में बहुत से बाधाएं आई और आज भी महिलाओं की संख्या न्यायपालिका में लगभग नगण्य है। भारत में आज तक मात्र 11 महिलाएं मुख्य न्यायाधीश बन सकी हैं और वर्तमान में मात्र 4 महिलाएं ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं। दूसरी ओर एशिया और अफ्रीका के अधिकतर देशों में हमारा संविधान एक मानक की तरह माना जाता है और वहां न्यायपालिकाओं और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधत्व को बढ़ाने के अनेकों प्रयास जारी हैं।

आज जेसिंदा आर्डेन जैसी महिलाएं अंतर संसदीय संघ (आई पी यू) में नेतृत्व करते हुए इन मुद्दों को विश्व पटल पर लगातार उठा रही हैं और महिला सांसदों की भागीदारी को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। सदियों से आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक और धार्मिक संस्थाओं पर पर धर्म के आधार पर पुरुष गैकानूनी तरीके से अधिकार किए रहे। बिना किसी नियम के असमान बंटवारे से सत्ता संचालित होती रही और शासक वर्ग भी पुरुषों के हित में कानून बनाकर शक्ति के स्रोतों का अनियमित वितरण करता रहा है।[3] बीसवीं सदी के अंत तक कुछ देशों में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के परिपक्व होने के कारण परिवर्तन आए और ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया इत्यादि ने अपने-अपने देश में लैंगिक समानता को स्थान देने के प्रयास आरंभ कर दिए थे। इसी दिशा में अमेरिका ने अपने देश में सबसे पहले डाइवर्सिटी पॉलिसी लागू की और वंचित वर्गो की भागीदारी सुनिश्चित की। इसके साथ ही हिस्पैनिक, रेड इंडियंस, अफ्रीकी, भारतीय आदि नस्लीय समूहों के अलावा महिलाओं और ट्रांसजेंडर की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित हो गई। धीमा ही सही पर इसी तरह यदि दूसरे देश भी महिलाओं को भागीदारी देने लगे तो भविष्य में हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और महिलाओं के विरुद्ध अपराध भी नियंत्रित किए जा सकेंगे। चीन और भारत में ये परिवर्तन बड़ी जनसंख्या के कारण थोड़ा देर से देखने को मिलेंगे। किंतु यदि सभी एशियाई देशों में महिला सशक्तिकरण का महत्व समझा गया तो ये परिवर्तन कुछ ही साल में ही देखने को मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने हाल में ही निम्न क्षेत्रों को चिन्हित करते हुआ कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इन क्षेत्रों में त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए:

1. महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए और भेदभावपूर्ण कानून समाप्त किए जाने चाहिए।
2. महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिये विशेष उपायों और आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

[1] हावर्ड यूनिवर्सिटी, 2011
[2] संयुक्त राष्ट्र समाचार, 2023
[3] संयुक्त राष्ट्र समाचार, पहली बार, विश्व की सभी संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, 2023

3. समान वेतन, समान रोजगार और सामाजिक संरक्षण वाली नीतियों को बनाया जाना चाहिए।
4. उन्होंने देशों की सरकारों से आग्रह किया कि वे महिलाओं व लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा की रोकथाम के लिये शीघ्र प्रयास करें क्योंकि महामारी के दौरान तथा बाद में हिंसा में लगातार बढ़ोत्तरी देखी गई है।
5. साथ ही उन्होंने एक न्यायसंगत और समानता पर आधारित विश्व के लिए प्रयासरत युवाओं के लिए रास्ता तैयार करने को कहा।
दूसरी ओर विश्व में कृषि आधारित समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने कहा, "यदि हम कृषि-खाद्य प्रणालियों में व्याप्त विषमताओं से निपटें और महिलाओं को सशक्त बनाएँ, तो दुनिया निर्धनता का अन्त करने और भूख से मुक्त विश्व सृजित करने के लक्ष्यों की दिशा में छलांग लगाएगी" खाद्य एवं कृषि संगठन का विश्वास है कि खेतों की उत्पादकता में लैंगिक खाई और कृषि रोज़गार में आय में पसरी खाई को पाटने से, वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में एक हज़ार अरब डॉलर की वृद्धि सम्भव है।[4] इस प्रकार खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है और भरपेट भोजन न मिलने की समस्या से काफी हद तक छुटकारा भी पाया जा सकता है। विभिन्न देशों में भुखमरी से जूझ रहे लोगों की संख्या में लगभग साढ़े चार करोड़ तक कम की जा सकती है और एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना को सार्थक किया जा सकता है।[5]

यूएन एजेंसी की कार्यकारी निदेशक नतालिया कानेम ने भी प्रजनन सम्बन्धी स्वायत्ता के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि "जैसे-जैसे महिलाएँ अपने शरीरों और जीवन के बारे में चयन करने के लिए सशक्त बनती हैं, वे और उनके परिवार फलते-फूलते हैं और समाज भी फलते-फूलते हैं" इसका सीधा संबंध एक स्वस्थ और मजबूत समाज से है। अन्य कई संगठन भी लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं जैसे कि यूनिसेफ, यूएन पॉपुलेशन फंड, यूएन विमेन, यू एन श्रम संगठन आदि। इनके उद्देश्य अलग अलग हैं किंतु महिलाओं के विकास में इन सभी का बहुमूल्य योगदान है। [6]

महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सामाजिक समावेशन जैसे मुद्दे विकसित देशों में अब राजनैतिक दलों की प्राथमिकता में शामिल किए जा चुके है। भारत में भी महिलाओं के वित्तीय समावेशन तथा व्यापार में भागीदारी बढ़ाने को लेकर अनेकों प्रयास किए गए किंतु इसके परिणाम अभी बहुत आकर्षक नहीं हैं। दी हिंदू के एक लेख के अनुसार व्यापार में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी मात्र 10% ही पहुंच पाई है।[7] संयुक्त राष्ट्र महिला और विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार 20 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं के गरीब होने की संभावना पुरुषों की तुलना में अत्यधिक होती है। बेरोजगारी, वित्तीय समावेशन, वित्तीय सहायता तथा व्यापार में महिलाओं की भागीदारी को लेकर ठोस कदम उठाने की तत्काल आवास्यकता है ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके।[8]

डिजिटल एक्सक्लूजन के संबंध में भी यूएन में कई बार ध्यान आकर्षित किया गया और पुरुष प्रधान डिजिटल मीडिया, प्रौद्योगिकी, और डिजिटल आकंडों पर भी अनेकों सवालिया निशान लगाते हुए कहा गया कि आधे अधूरे आंकड़ों, कृत्रिम बुद्धिमता तथा खराब अल्गोरिदिम से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रिपोर्ट में महिलाओं के विरोध में प्रस्तुत किया जा रहा है। डिजिटल माध्यम से किए जा रहे बहुत से शोध सही तथ्यों को प्रस्तुत करने के बजाय लैंगिक विषमता को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे शोधों पर आधारित तथा पुरुष शरीर पर तैयार किए गए मॉडल, सुरक्षा उपकरण, दवाइयां, गाडियां, मशीनें तथा बहुत से अन्य उपकरण महिलाओं को भारी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। डिजिटल माध्यम से जानकारी का लाभ उठाने में और डिजिटल माध्यमों को इस्तेमाल करके आय अर्जित करने वालों में भी पुरुषों की संख्या महिलाओं से कहीं ज्यादा है। डिजिटल माध्यम से व्यापार बढ़ाने वाली महिलाओं की संख्या भी पुरुषों से कम है, नायका का एकमात्र कंपनी है जोकि भारत के स्टॉक एक्सचेंज में एक सफल लिस्टेड कंपनी है जिस का संचालन एक महिला कर रही है। GSMA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 22% महिलाएं हीं वित्तीय लेनदेन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं। डिजिटल साक्षरता कम होने के कारण महिलाएं टेक्नोलॉजी और मोबाइल का इस्तेमाल घर में पुरुषों के मुकाबले काफी पीछे हैं

वैज्ञानिक संस्थाओं में भी महिलाओं भागीदारी सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है जिससे कि महिलाएं अंतरिक्ष, समुद्र, भूमि विज्ञान आदि क्षेत्रों में अपना कौशल दिखा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। सभी संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जरूरी निर्णय और नीतियां निर्धारित होनी चाहिए। वैज्ञानिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है यदि इन संस्थानों में महिलाओं शामिल किया जाए तो शोध में बहुत सी नई विचारधाराओं का जन्म होगा तथा शोध के वह आयाम सामने आएंगे जो अब तक देखे ही नहीं गए।

[4] ओआरएफ, दक्षिण एशिया क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महिलाओं की पोषण साक्षरता की भूमिका, 2023
[5] संयुक्त राष्ट्र समाचार, खाद्य-कृषि: लैंगिक खाई पाटने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक हज़ार अरब डॉलर की वृद्धि सम्भव, 2023
[6] यूनिसेफ भारत, लैंगिक समानता, 2023
[7] दी हिंदू, 2022
[8] लैंगिक खाई को पाटने की कोशिश: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय तकनीक का इस्तेमाल, 2019

आई पी यू की एक रिपोर्ट[9] के अनुसार 47 देशों में चुनाव के बाद की स्थिति दर्शाती है कि इन चुनावों में महिला प्रत्याशियों को कुल उपलब्ध सीटों में 25.8 फ़ीसदी प्राप्त हुईं, और इसमें पिछले चुनावों की तुलना में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। किंतु यह पिछले छह वर्षों में संसदों में महिलाओं की भागेदारी के विषय में यह सबसे छोटी वृद्धि है।[10] तथा इस वृद्धि के साथ वैश्विक स्तर पर संसदीय कार्यालयों में महिलाओं की भागीदारी 26.5 प्रतिशत हो गई है। किंतु इस प्रतिनिधित्व के बाद भी आईपीयूए के महासचिव मार्टिन चुनगाँग का मानना है कि यदि हम इसी गति से काम करेंगे तो संसदों में लैंगिक समता हासिल करने में अभी लगभग 80 वर्ष और लगेंगे और यह एक बहुत लंबा समय है।[11]

यूएन श्रम संगठन (ILO) ने एक नया संकेतक, जाब गैप (Jobs Gap), विकसित किया है, जो काम पाने के इच्छुक उन सभी व्यक्तियों पर जानकारी जुटाता है, जिनके पास रोज़गार नहीं है। किंतु इसमें घरेलू कार्य को रोजगार का दर्जा नहीं दिया गया है। जॉब्स गैप मात्र कामकाजी महिलाओं की स्थिति का आंकलन करता है और आंकड़ों के जरिए महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करता है। यू एन श्रम संगठन का मानना है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में रोज़गार पाने के लिए अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तथ्य के बावजूद कार्यक्षेत्र में महिलाओं के समर्थन में बनने वाली नीतियां और योजनाएं नगण्य होती हैं। आज भी बहुत से देशों और कार्यक्षेत्रों में महिलाओं को मातृत्व अवकाश और बच्चों के देखभाल करने हेतु चाइल्ड केयर अवकाश जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। लगातार संविदा पर काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है और संविदा पर काम करने वाली महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। महिलाओं के लिए बहुत से कार्यक्षेत्र आज भी पूरी तरह निषेध हैं तथा विश्व में 15% महिलाएं रोजगार पाना चाहती हैं पर उनको काम करने के अवसर तक उपल्ब्ध नही कराए जाते। वहीं पुरुषों का यह आंकड़ा मात्र 10.5 प्रतिशत है। संगठन के अनुसार इस लैंगिक खाई में पिछले दो दशकों (2005-2022) से कोई बदलाव नहीं आया है। विकासशील देशों में यह स्तिथि अत्यधिक गंभीर है जहाँ निम्न-आय वाले देशों में काम ढूंढ पाने में असमर्थ महिलाओं का हिस्सा 24.9 प्रतिशत है।[12] पुरुषों के लिए यह दर लगभग 16.6 प्रतिशत है और महिलाओं की तुलना में कम है।

श्रम संगठन के अनुसार, अवैतनिक देखभाल कामकाज समेत निजी और पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ, स्वास्थ्य, असुरक्षित कार्य या कार्यक्षेत्र, नीतियां, कार्यक्षेत्र में होने वाला दुर्व्यवहार तथा काम करने का समय महिलाओं को विषमतापूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, ये गतिविधियाँ महिलाओं का ना केवल रोज़गार स्वीकार करने से रोकती हैं, बल्कि ये सक्रियता से रोज़गार ढूंढने और कम अवधि में ही काम शुरू करने के रास्ते में अवरोध है। कोविड महामारी के दौरान विभिन्न कारणों से हमारे देश में सबसे अधिक नौकरियां महिलाओं ने खोई हैं और वे लगातार घरेलू हिंसा का शिकार बनीं जोकि एक शोध का विषय है।[13]

3. भारतीय परिवेश में राजनैतिक नेतृत्व और लैंगिक समानता :

भारत में महिलाओं के योगदान को नकारने की एक प्राचीन परम्परा है। एक ओर देशों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की होड़ लगी है दूसरी ओर हमारे देश में महिला जनप्रतिनिधियों और सांसदों को प्रायः कम आंका जाता है। बड़े भारतीय राजनीतिक दल आर्थिक और सामाजिक गैर- बराबरी की भांति ही लैंगिक असमानता को बढ़ावा ही देते रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर आज भारत नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार जैसे विकासशील पड़ोसी देशो से भी बहुत पीछे जा चुका है। आज स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम द्वारा अप्रैल 2021 में प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट- 2021 के अनुसार हमारी स्थिति सुधारने में एक लंबा समय लग सकता है। वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम और जेंडर गैप की रिपोर्ट के अंतर्गत विभिन्न देशों में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करके उनका अध्धयन किया जाता है। इनमें शिक्षा, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, और राजनीति आदि में महिलाओं व पुरुषों के सापेक्ष विकास या उनकी स्थिति में आए हुए परिवर्तन और अंतर का आंकलन किया जाता है।[14] इस रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। साल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा सकता है कि समस्त दक्षिण एशियाई देशों में भारत की स्थिति सबसे खराब रही है। भारत रैंकिंग में भी 146 देशों में 135 वें स्थान पर रहा और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों की स्थिति हमसे अच्छी है।[15]

[9] आई पी यू रिपोर्ट, 2023
[10] संयुक्त राष्ट्र समाचार, पहली बार, विश्व की सभी संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, 2023
[11] आईपीयू रिपोर्ट, 2023
[12] यूएन श्रम संगठन (ILO)रिपोर्ट, 2023
[13] यूएन एजेंसी का आकलन, 2023
[14] ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट- 2021
[15] ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट- 2022

भारत के लगातार पिछड़ते जाने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए ग्लोबल जेंडर गैप- 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि' इस साल भारत का जेंडर गैप 3% तक बढ़ा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट- 2021 के अनुसार विश्व में लैंगिक समानता लाने में लगभग 135 वर्ष लगेंगे तो समझ लीजिए भारत जैसे देश को 150 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं।

इस प्रकार यदि लैंगिक समानता हासिल करने लिए भारत को डेढ़ सौ से भी अधिक साल लगेंगे तो हमे सोचना ही पड़ेगा कि देश की आधी आबादी कितनी जटिल समस्याओं का सामना कर रही है। तथा राजनीतिक दल इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं कर रहे हैं। जबकि सभी राजनीतिक दलों को ऐसी स्थिति में लैंगिक समानता के लिए कई गुना गंभीर होना आवश्यक है और इसके लिए आवश्यक ठोस कदम कुछ वर्षो में उठाने ही पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले भारत में लैंगिक असमानता की उत्पत्ति के कारणों को जानना होगा, महिलाओं को शोध कार्य तथा लैंगिक असमानता से जुड़ी कार्यशालों में भाग लेना होगा, साथ है उन्हें सामूहिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं के संभव समाधान खोजने होंगे। भारत के संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि कुछ आवश्यक नियमों तथा परियोजनाओं के लागू होने से लैंगिक असमानता को कम किया जा सकता है:

- लैंगिक समानता तथा विविधता से जुड़े नियम सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों में कड़ाई से लागू किए जाए तथा जो संस्थान इनका पालन नहीं करते उनके ऊपर जरूरी पेनल्टी भी लगाई जाए।
- महिलाओं के लिए निषेध क्षेत्रों तथा सेना व न्यायालयों सहित सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी स्तर की, सभी प्रकार की नौकरियों, सरकारी और निजी क्षेत्रों की सस्थाओं, निर्माण कार्यों, परिवहन, न्यायपालिका, नियंत्रण बोर्ड आदि में भागीदारी दी जानी चाहिए।
- सरकारी और निजी क्षेत्रों के स्कूल, कॉलेज, तकनीकि-व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश परीक्षाओं, रोजगार और निर्णायक समिति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- वित्तीय संस्थाओं, धनराशि के आवंटन, लोन, सब्सिडी, वित्तीय सहायता तथा भूमि आवंटन में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- डिजिटल, प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मिडिया एवं फिल्म-टीवी के सभी प्रभागों और सेंसर बोर्ड में भी उनकी सशक्त भूमिका होनी चाहिए।
- न्याय पालिकाओं, ग्राम पंचायत, लोक सभा, राज्य सभा, मंत्रालयों, कार्यालाओं में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

4. निष्कर्ष :

यदि महिलाओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उपरोक्त सुझाव आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में लागू किए गए तो जल्दी ही एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन एक नई दिशा दिखा सकता है तथा हर क्षेत्र में उनके लिए स्थान बना सकता है। लैंगिक विविधता लागू करने पर भारत की महिलाएं पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में अपना कौशल दिखा पाएंगी। राजनीति, शिक्षा, पुलिस बल, सुरक्षा, न्यायपालिका, व्यापार के साथ साथ सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी प्रकार की नौकरियों, राजनीति की समस्त संस्थाओं, समस्त गतिविधियों में अपनी पहचान बना सकेंगी। ये सारे प्रयास एक योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग राज्यों में कई चरणों में लागू करने के बाद उनकी प्रगति का आंकलन करना भी आवश्यक है। भारत में जातिगत समीकरण अलग होने के कारण सिर्फ लैंगिक समानता का मॉडल काम नहीं करेगा। दलित महिलाओं के लिए विशेष स्थान और रास्ते बनाना ही हमारे राजा विकास की परिकल्पना को साकार कर पाएगा। इन सभी सुझावों को राजनैतिक दल अपने एजेंडा में सम्मिलित करके एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और परस्पर सहयोग से लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं। जनप्रतिनिधियों, टीम लीडर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं के बीच दूरी कम करके और जागरूकता अभियान चला कर 50 वर्षों में ही लैंगिक असमानता की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही आर्थिक और सामाजिक विषमता-जन्य तथा बाकी समस्यायों का भी हल निकाला जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास में राजनीतिक नेतृत्व सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है अतः सभी राजनीतिक गतिविधियों और पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्तमान में ही तय हो जाना चाहिए।